छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / ई–पंचा. / 2018 / 349 नया रायपुर, दिनांक 24.07.2018

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत छत्तीसगढ़

विषय :– **पब्लिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के कियान्वयन हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के प्रबंधन के संबंध में।**

———0———

14वें वित्त आयोग अंतर्गत पी.एफ.एम.एस. के कियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव व सरपंचों हेतु डिजीटल हस्ताक्षर बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। डिजीटल हस्ताक्षर बनाये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश प्रसारित किये गये है। डिजीटल हस्ताक्षर सर्टीफिकेट **(DSC)** एक टोकन (डोंगल) के रूप में प्राप्त होगा। प्राप्त डिजीटल हस्ताक्षर के प्रबंधन से संबंधित निर्देश निम्नवत् है :–

1. डिजीटल हस्ताक्षर प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर एक अधिकारी / कर्मचारी को अधिकृत किया जावे। यदि किसी डिजीटल हस्ताक्षरधारी सरपंच / सचिव द्वारा कार्य छोड दिया जाता है या अन्य कारणों से रिक्ती उत्पन्न होती है तो उक्त डिजीटल हस्ताक्षर डोंगल जिले के प्रभारी अधिकारी के पास जमा करवाया जावें। जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा सिस्टम से उक्त डिजीटल सर्टीफिकेट को हटाया जावेगा, तथा उसके स्थान पर संबंधित नए पदाधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त इंस्टाल / इनरोल किया जायेगा। रिक्ति की सूचना तत्काल जिले को देने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी।

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 38 में प्रावधान है कि सरपंच की आकस्मिक रिक्ति होने पर ग्राम पंचायत कार्यवाहक सरपंच का चुनाव करेगी जो आगामी चुनाव तक सरपंच का कार्य करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यवाहक सरपंच का डिजीटल हस्ताक्षर बनवाकर उसका संबंधित ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह व्यवस्था आगामी चुनाव के पश्चात नए चयनित सरपंच के कार्यभार ग्रहण करने तक रहेगा। इसके पश्चात् नए सरपंच का डिजीटल हस्ताक्षर बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जावे।

3. इस प्रकार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69 (सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति) प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव की आकस्मिक रिक्ति या स्थानांतरण होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रभारी सचिव की व्यवस्था की जाएगी। प्रभारी सचिव या स्थानांतरित सचिव का नया डिजीटल हस्ताक्षर बनाया जावे तथा संबंधित ग्राम पंचायत में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जावे।

4. यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता सचिव का स्थानांतरण हो जाता है तो वह अपने डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग नये स्थान पर कर सकता है। परन्तु यह आवश्यक होगा कि इस प्रकार परिवर्तन की सूचना तत्काल जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी को दी जावे, जिससे पुराने ग्राम पंचायत से उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर नए ग्राम पंचायत के साथ उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके।

Scanned by CamScanner

5. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि करी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पद रो हटने की रिथति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तत्काल इराकी सूचना जिला रतर पर प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी और प्रभारी अधिकारी द्वारा तत्काल हरताक्षर ब्लाक कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् नियमानुसार नए पदधारी के विषय में अधिकृत सूचना प्राप्त होने पर पुनः डिजिटल हस्ताक्षर का संबंधित ग्राम पंचायत में रजिरट्रेशन किया जाये।

6. यदि सचिव एक से अधिक ग्राम पंचायत के प्रभार में है तो वह दोनों जगहों पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग कर पाएगा, परन्तु इसके लिए उसका जिला प्रभारी अधिकारी के माध्यम से दोनों ग्राम पंचायतों में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा।

7. जनपद स्तर पर क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध डी.एस.सी. की अंतिम तिथि (Expiry Date) संबंधी जानकारी संधारित की जाए तथा जिन डी.एस.सी. समय–सीमा समाप्त हो रही है उसके विरूद्ध आवश्यकतानुसार समय से पूर्व नवीनीकरण या नया डी.एस.सी. बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

8. डिजीटल हस्ताक्षर की वैधानिक मान्यता वास्तविक हस्ताक्षर के समान है अतः डिजीटल करने वाले प्राधिकारी संबंधित लेन–देन हेतु जवाबदेह होंगे। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवहार को संबंधित प्राधिकारी स्वयं चेक कर स्वयं अपने डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करें। डिजीटल हस्ताक्षर डोगल की सुरक्षा के लिए भी हस्ताक्षरकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। सरपंच एवं सचिव को डिजीटल हस्ताक्षर के उपयोग की विधि तथा सुरक्षा के विषय में पर्याप्त जानकारी/प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

23/07/18

(पी.सी.मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/ई–पंचा./2018/350 — नया रायपुर, दिनांक 24.07.2018

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. श्री पी. रामाराव, तकनिकी निदेशक, NIC मंत्रालय को सूचनार्थ।
5. समस्त उपसंचालक, पंचायत जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner